



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर**

Ph. No/Fax No :- 01372 - 252122

E Mail :- eepdgpr1@gmail.com

पत्रांक - 237/ 23 एल.ए.
सेवा में,

दिनांक-गोपेश्वर 04/02/2021

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय :-

जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई-मोल्टा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु (1.810 हे.) वनभूमि प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/45735/2020)।

सन्दर्भ :-

आपका EDS दि. 18.01.2021।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक कार्य FP/UK/ROAD/45735/2020 के वनभूमि प्रस्तावों पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर निम्न प्रकार प्रेषित है :-

क्रम सं०	वन विभाग द्वारा लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का निराकरण
1-	Additional information में अपलोड किये गये कम 10 Justification में Name of Project का नाम गणाई मोल्टा मोटर मार्ग से पातालगंगा मोटर मार्ग तक निर्माण कार्य के स्थान खजुरखाल निगलानी तिमुलपानी गोगनाई मोटर मार्ग का नाम अंकित किया गया है।	Additional information में अपलोड किये गये कम 10 Justification में Name of Project का नाम गणाई मोल्टा मोटर मार्ग से पातालगंगा मोटर मार्ग तक निर्माण अंकित कर दिया। जो अब क्रमांक 31 पर स्थित है।
2-	Additional information में अपलोड किये गये कम 29 सिविल सोयम लैण्ड शैड्यूल प्रपत्र में प्रभावित होने वाले गांव का नाम व प्रभावित वनभूमि का उल्लेख न कर ब्लाक का नाम उल्लेख किया गया है। जिससे यह उल्लेख नहीं हा पा रहा है कि उक्त मोटर मार्ग में किस गांव की सिविल भूमि प्रभावित हो रही है।	सिविल सोयम लैण्ड शैड्यूल में प्रभावित गांवों का उल्लेख कर दिया है। जिसे Additional information में क्रमांक 32 पर अपलोड कर दिया गया है।
3-	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र ऑन लाईन नहीं किया गया है।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र Additional information में क्रमांक 30 पर अपलोड कर दिया गया है।
4-	प्रस्तावित वनभूमि की केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी 4.20 किमी. दर्शायी गयी, जो 10 किमी. परिधि के अन्तर्गत है। उक्त प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव प्रतिपालक की संस्तुति का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया है।	10 किमी. परिधि के अन्तर्गत होने का मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव प्रतिपालक की संस्तुति का प्रमाण Additional information में क्रमांक 33 पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से वनभूमि प्रस्ताव पर यथाशीघ्र कार्यवाही करते हुये नोडल अधिकारी, देहरादून को अग्रेसित करने का कष्ट करें।

संलग्न - सूचना 4-4 प्रतियों में।

04-2-2021

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
गोपेश्वर